न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 142/2015

सुरेन्द्रसिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. साधुसिंह पुत्र गुरदीपसिंह
2. रणवीरसिंह पुत्र गुरदीपसिंह
3. गुरदीपसिंह पुत्र शाम सिंह

जाति जटसिख निवासी 25 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 26.06.2015

उपस्थित–

श्री श्यामसुन्दर , अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पो संख्या 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 02.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/ रेस्पों. सं. 1 से 3 ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत प्रा.पत्र पेश कर चक 25 जैड के मु.नं. 39 के कि.नं. 10, 9, 8, 7, 6 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी/अपीलांट ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। उन्हें रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

2/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 26.06.2015 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए चक 25 जैड के मु.नं. 39 के कि.नं. 6 से 10 में रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाब प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध है। अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार से मौका निरीक्षण नहीं करवाया और न ही कोई रिपोर्ट ली। जब रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1088, आर.आर.टी.2016(2) पेज 1281, आर.आर.टी.2017(1) पेज 423, की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था जो रास्ता स्वीकृत किया है वह पूर्व से चल रहा है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा दिलाने के आदेश दिये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील् अधी.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें रेस्पों. को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अपीलांट की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि वैकल्पिक स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय के निर्णय के विवेचन में जाहिर किया कि रेस्पों. के पास अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अतः चक 25 जैड के मु.नं. 39 के कि.नं. 6 से 10 में रास्ता स्वीकृत किया है परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट

2/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्व/14/2258 दिनांक 22.11.2014 के बिन्दु सं. 3 में अंकित किया है कि मु.नं. 39 के कि.नं. 1, 10, 11 ,20, 21 में रास्ता स्वीकृत है जो स्वीकृत रास्ते के वैकल्पिक रास्ते के रूप में पूर्व से उपलब्ध होना जाहिर किया है। फिर भी अधी. न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत यह अंकित किया है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अध्ययन किया। रेस्पों. के पास आने–जाने हेतु स्वीकृत रास्ता नहीं है, रिकार्ड से परे विवेचन है। इस सम्बन्ध में राज.काश्त. अधि.1955 की संशोधित धारा 251ए एवं इसकी कियान्विति हेतु राज.काश्त.(सरकारी) संशोधन नियम 212 के नियम 69(i)(ii) के प्रावधान संदर्भित है जिसकी Bare reading है कि (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, इस विधि अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने तथा रास्ते की absolute necessity नहीं होने पर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जाना निर्देशित है परन्तु प्रकरण हाजा में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मु.नं. 39 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में वैकल्पिक स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है तथा प्रकरण हाजा का रास्ता आवश्यकता के लिए नहीं अपितु सुविधा के लिए स्वीकृत किया जाना विवेचित है जो सन्दर्भ नियम 69 का उल्लघंन कर स्वीकृत करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.06.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर